

ग्रामीण विधिक सहायता केंद्र

कमजोरों की आवाज़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

तारीख: 18-07-2025

सेवा में,

Concerned Police Station,

द्वारका

विषय: IPC धारा 52 ए - "बंदरगाह" के अंतर्गत शिकायत

मान्यवर,

मैं, Rachit, आयु 19, द्वारका का निवासी, नीचे वर्णित घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराना चाहता/चाहती हूँ:

घटना का सार:

मेरा दोस्त एक अपराधी है लेकिन मैंने उसे आश्रय दिया।

प्रमुख IPC धारा:

52 ए - "बंदरगाह"

"हार्बर" को आश्रय देने या एक अपराधी के रूप में परिभाषित करता है - जैसे परिवहन, आश्रय, हथियार, आदि प्रदान करना।

- सजा: केवल परिभाषा - कोई सजा नहीं। अपराधियों को परेशान करने जैसे अपराधों को सेक 212, 216 के तहत दंडित किया जाता है।
- संज्ञेय: लागू नहीं - यह एक परिभाषा है। सेक 212 संज्ञानात्मक है।
- जमानतीय: लागू नहीं - यह एक परिभाषा है। उदाहरण: एसईसी 212 (हार्मन अपराधी) जमानत योग्य है।
- श्रेणी: परिभाषाएं

अन्य संबंधित धाराएँ:

- अपराध करने वाला अपराधी

एक व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराना

- सजा: 5 साल (पूँजी), 3 वर्ष (जीवन), 1 वर्ष (अन्य)
- संज्ञेय:
- जमानतीय:
- श्रेणी: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय

- अपराध करने वाला अपराधी

एक व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराना

- सजा: 5 साल (पूँजी), 3 वर्ष (जीवन), 1 वर्ष (अन्य)
- संज्ञेय:
- जमानतीय:
- श्रेणी: झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय

शिकायतकर्ता का विवरण:

- नाम: Rachit
- लिंग: Male
- आयु: 19
- फ़ोन: 6969696969
- ID नंबर: 690
- ईमेल: voiceforweak@gmail.com

सादर,

Rachit

Signature